भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2372

जिसका उत्तर सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

कर्नाटक में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों के तहत बैंकों की उपलब्धियां

†2372. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कमज़ोर वर्गों सहित पीएसएल लक्ष्यों की प्राप्ति का बैंक-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भी क्षेत्र में कोई अंतर देखा गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कमजोर प्रदर्शन के क्या कारण हैं;

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या जिला स्तर पर किसी निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के लक्ष्य और उप-लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण – लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, दिनांक 24 मार्च 2025 (19.01.2026 को अद्यतन) के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार, पीएसएल लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की उपलब्धि का मूल्यांकन बैंक स्तर पर किया जाता है न कि कर्नाटक सहित किसी भी राज्य के लिए।

निगरानी ढांचे के एक भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक कैलेंडर-तिमाही आधार पर बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण निष्पादन की निगरानी करता है।

(ख) से (ङ): 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार पीएसएल के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की उपलब्धि **अनुबंध** में दी गई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अल्प कार्य-निष्पादन विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कृषि और लघु तथा सीमांत किसानों में पाया गया है।

बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेशों में यथा निर्धारित पीएसएल लक्ष्यों और उप–लक्ष्यों को प्राप्त करें। इन लक्ष्यों या उप–लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले बैंकों को भारत सरकार द्वारा समय–समय पर तय किए गए विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) अर्थात नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, मुद्रा लिमिटेड द्वारा अभिशासित नामोदिष्ट निधियों में रियायती दर पर कमी की राशि का योगदान करना आवश्यक है।

(च): जिला स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह के आधार पर जिलों की रैंकिंग करने की प्रणाली और तुलनात्मक रूप से कम ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए प्रोत्साहन ढांचे का निर्माण करना तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तुलनात्मक रूप से अधिक प्रवाह वाले जिलों के लिए प्रोत्साहन ढांचा तैयार करना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 से, अभिज्ञात जिलों जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (प्रति व्यक्ति पीएसएल 9,000 रुपये से कम),में वृद्धिशील प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण के लिए एक उच्च भार (125%) सौंपा गया है, और अभिज्ञात जिलों जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है (प्रति व्यक्ति पीएसएल 42,000 रुपये से अधिक) में वृद्धिशील प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण के लिए कम भार (90%) सौंपा गया है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां (एसएलबीसी)/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समितियां (यूटीएलबीसी) और जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) जिला स्तर पर ऋण वितरण की निगरानी करती हैं।

अनुबंध

'कर्नाटक में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों के तहत बैंकों की उपलब्धियां' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2372 के उत्तर के भाग (ख) से (ङ) में उल्लिखित अनुबंध

31 मार्च, 2026 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की उपलब्धियां

(राशि लाख करोड़ रुपये में)

अवधि	एएनबीसी	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण		कृषि		लघु और सीमांत किसान		सूक्ष्म उद्यम		कमजोर वर्ग	
		राशि	एएनबीसी का %	राशि	एएनबीसी का %	राशि	एएनबीसी का %	राशि	एएनबीसी का %	राशि	एएनबीसी का %
31.03.2026	153.78	69.49	45.19	26.59	17.29	14.93	9.71	16.24	10.56	19.31	12.56

स्रोत: *आरबीआई*
